


Resb-3056 PB 2/16



श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल केम्प इन्दौर

कमलाबाई विठ्ठल पीत स्वामी लीलाराम - प्रार्थिनी
विरुद्ध

शंकर पीता सुखराम वगेरह -- प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 35(3) मओप्रओरओभूओ सौ हता

श्री श्रद्धानंद मिश्र
अभिभाषक का
कैम्प 3 को पर
प्रभुता

16/8/16
2.10 PM

महोदय,

सदर प्रकरण मे प्रार्थिनी के अभिभाषक माननीय जे आतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई मे उपस्थित हुआ था जिस कारण इस न्यायालय मे इस प्रकरण मे सुनवाई मे अनुपस्थित हो गया होने से सदर मामला अदम पैरवी मे निरस्त हो चुका है ।

यही, प्रकरण का पक्षकार प्रार्थी अभिभाषक को मोबाइल पर सूचना देने की कोशिश की किन्तु प्रार्थी अभिभाषक का मोबाइल भी बन्द पड़ा है । लेकिन प्रार्थी अभिभाषक को सदर प्रकरण की जानकारी थी प्रार्थी पक्षकार प्रार्थी अभिभाषक को मोबाइल से सम्पर्क करनेमे व्यस्त रहा इस कारण माननीय न्यायालयकेसमक्ष उपस्थित नहीं हो सका है ।

अतएव निवेदन है कि अनुपस्थित की माफी दी जावे और प्रकरण को पुनः सुनवाई मे लिया जावे ।

इन्दौर दिनांक :- 16/8/16

(Handwritten signature)

प्रस्तुतकर्ता

प्रार्थिनी के अभिभाषक

4

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक Rosta 9056 - 17/8/16

उमलावाडी

विरुद्ध शंकर

तहसील

जिला इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>17-8-2016</p> <p><i>Rostu</i></p>	<p>PBR</p> <p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 16/8/16</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.</p> <p>. रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p><i>प्रस्तुतकार</i></p> <p>आवेदक की ओर से श्री <i>शंकर</i></p> <p>मिशन अभिभावक उपस्थित। तब पुन</p> <p>गये। अनुपादित का कारण समाधान-</p> <p>कारण होने से प्रथम प्रकार पुन स्थापित</p> <p>किया जाता है। इस प्रकार में कार्यवाही</p> <p>शुद्ध नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p>	<p><i>Shankar</i></p> <p>17/8</p>

Shankar

अध्यक्ष